अभिभावकों को अपार आईडी से इन्कार का विकल्प दे सीबीएसई

सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा हाईकोर्ट के फैसले को लागू करने का दिया आदेश

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से कहा कि अभिभावकों को ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री (अपार) आईडी बनवाने से इन्कार करने या इस योजना से बाहर रहने का विकल्प दिया जाए। शीर्ष कोर्ट ने चार छात्रों के अभिभावकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीएसई को इस संबंध में उड़ीसा हाईकोर्ट के निर्देश को पूरे देश में लागू करने का निर्देश दिया।

मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची व जस्टिस वी मोहना की पीठ ने कहा कि चूंकि केंद्र सरकार ने उड़ीसा हाईकोर्ट के दिसंबर, 2025 के फैसले को चुनौती नहीं दी है, इसलिए वह सीबीएसई को इस फैसले को पूरे देश में लागू करने का निर्देश देगी। पीठ ने कहा, औपचारिक आदेश बाद में जारी किया जाएगा। ब्यूरो

हर छात्र की 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या

अपार में हर छात्र को 12 अंकों की विशिष्ट और आजीवन मान्य पहचान संख्या दी जाती है। यह सभी शैक्षणिक रिकॉर्ड का एक डिजिटल भंडार होता है।